प्रेस नोट **07/11/2023**

एक पिकअप वाहन में सेन्टरिंग के सामान के नीचे छुपाकर गोरखपुर से बिहार जा रही लगभग 03 लाख रूपये कीमती कुल 42 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बियर बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.11.2023 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान आजमगढ तिराहे पुलिस पिकेट के पास एक पिकअप वाहन (बीआर 01 जीजी 3698) गोरखपुर के तरफ से आती दिखाई दी, जिसको मौके पर पुलिस बल द्वारा चेकिंग हेतु उस पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन चालका द्वारा गाडी कुछ दूरी पर तेजी से रोक दिया गया और चालक वहा से अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मोके पर जाकर पिकअप हो चेक किया गया जिसमें सेन्टरिंग का सामान भरा था। जब गहनता से नीचे चेक किया गया तो उनसे से 09 पेटी फ्रूटी एट पीएम, 05 पेटी आफिसर च्वाइस, 02 पेटी रायल स्टेज, 22 पेटी बियर टूवर्ग तथा 04 पेटी बियर बडवाइजर बरामद किया। जब एप से स्केन कर शराब को चेक किया गया तो वह गोरखपुर के गोदाम से गोरखपुर के ही एक फुटकर विक्रेता के यहा जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी नौसाद और अज्ञात वाहन चालक व दुकान विक्रेता के खिलाफ मु0अ0सं0 231/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

बरामदगी–

1. 09 पेटी फ्रूटी 08 पीएम,
2. 05 पेटी आफिसर च्वाइस
3. 02 पेटी रायल स्टेज
4. 22 पेटी बियर टूवर्ग
5. 04 पेटी बियर बडवाइजर
6. एक पिकअप वाहन
7. एक पिकअप वाहन (बीआर 01 जीजी 3698)

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष कल्पना मिश्रा, उ0नि0 ओमप्रकाश पाण्डेय, हे0का ज्वाला वर्मा, का0 रविकिरण सिंह, का0 संजीव कुमार सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 अभिषेक सिंह, का0 चालक घिसियावन।

<u>मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के गैंगेस्टर के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 के अर्थदंड से किया गया दंडित–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे द्वितीय गैंगेस्टर कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 06–11–2023. को, मु0अ0सं0 30/2018 .धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन में

दोषसिद्ध अभियुक्त लालबहादुर पुत्र सूरत राम निवासी महादेवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया को 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कृष्णशरण सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश कुमार भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।